कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11521/2020 मंजू कुमारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थिया ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनोपरान्त विभाग द्वारा याचिकार्थिया को बाड़मेर जिला आवंटित कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राईकों का बास, बालोतरा में पदस्थापित किया गया, जबकि याचिकार्थिया के दिव्यांग पति राजकीय सेवा में अध्यापक के पद पर उसके पदस्थापन स्थान से 750 किमी. दूर धोलपुर जिले में कार्यरत है। याचिकार्थिया के कथनानुसार विभाग द्वारा जिला आवंटन से पूर्व उसे धोलपुर जिला आवंटित करने हेतु आग्रह पत्र प्रस्तुत किया गया था एवं विभाग द्वारा जिला आवंटन पश्चात जिला परिवर्तन हेतु पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, परन्तु उसका जिला परिवर्तन नहीं हुआ। अतः याचिकार्थिया ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति–पत्नी प्रकरण (यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उनको एक ही स्थान अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापन किया जावें) के आधार पर बाड़मेर जिले के स्थान पर धोलपुर जिला आवंटित कर पदस्थापित करने की मांग की है।

याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित एवं बोर्ड द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन बाबत् राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश दिनांक 15.11.2019 के अनुसार "निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जिलेवार विज्ञापित पदों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी उस जिले को आवंटित किये जावेंगे। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III की रिक्तियों (आरक्षण सहित) की गणना जिलेवार ही की जाती है। अतः जिले के चयन वर्गवार (सामान्य/आरक्षित श्रेणियां, यथा–महिला/एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/विधवा–परित्यक्ता इत्यादि) विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन वर्गवार एवं स्वयं के वर्ग की मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों से विभागीय वेबसाइट पर विकल्प पत्र आमंत्रित किये जाकर अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला आवंटित किया जावें," के निर्देश दिए गए थे जिसके अनुसार ही जिला आवंटन किया गया है।

याचिकार्थिया का बोर्ड द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में वरीयता क्रमांक 11923 वर्ग एवं चयन वर्ग MBCF (विशेष पिछड़ा वर्ग महिला) पर चयन कर दिनांक 30.04.2020 को अभिस्तावना मय आवेदन पत्र भिजवाना पाया गया। विभाग को याचिकार्थिया की अभिस्तावना प्राप्त होने की दिनांक 30.04.2020 से पूर्व ही याचिकार्थिया के विकल्प पत्र में प्रथम 29 प्राथमिकताओं पर अंकित जिलों में याचिकार्थी के समान वर्ग एवं चयन वर्ग MBCF (विशेष पिछड़ा वर्ग महिला) के सभी विज्ञापित पद भरे जा चुके थे। अतः शासन के दिशा–निर्देश दिनांक 15.11.2019 एवं तय विभागीय नीति के अनुसार याचिकार्थिया के समान वर्ग एवं चयन वर्ग MBCF (विशेष पिछड़ा वर्ग महिला) में पूर्व में जिला आवंटन की कार्यवाही के पश्चात् जिलों में उपलब्ध विज्ञापित पदों के आधार पर दिनांक 06.07.2020 को विकल्प पत्र में 30वीं प्राथमिकता पर अंकित बाड़मेर जिला आवंटित किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में याचिकार्थिया से संबंधित वर्ग एवं चयन वर्ग MBCF (विशेष पिछड़ा वर्ग महिला) में याचिकार्थिया की अभिस्तावना प्राप्त होने के पश्चात याचिकार्थिया के जिला आवंटन दिनांक द्वारा याचिकार्थिया से कनिष्ठ किसी भी अभ्यर्थी को याचिकार्थिया को आवंटित बाड़मेर जिले से पूर्व उसके विकल्प पत्र में अंकित जिला नियुक्ति हेतु आवंटित नहीं किया गया है।

विभाग द्वारा शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III पद हेतु जिला आवंटन के संबंध में पात्र अभ्यर्थियों की पारस्परिक तुलना उनके अभिस्तावना दिनांक, जिला आवंटन दिनांक एवं वर्ग व चयन वर्गवार ही की जा सकती है क्योंकि विभाग को बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की अभिस्तावना एक साथ प्राप्त न होकर विभिन्न चरणों में प्राप्त हुई है, अतः सम्पूर्ण अभिस्तावना प्राप्त होने का इन्तजार कर पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया को बाधित/विलम्ब नहीं किया जा सकता था।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा अभिस्तावित अभ्यर्थियों को विभाग द्वारा की गई जिला आवंटन की समस्त कार्यवाही प्रोविजनल है, जिसका उल्लेख इस कार्यालय द्वारा जारी जिला आवंटन आदेश में स्पष्ट रूप से किया गया है।

वर्तमान में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों की सम्पूर्ण अभिस्तावना बोर्ड से प्राप्त नहीं हुई है। बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों की सम्पूर्ण अभिस्तावना विभाग को प्राप्त होने के पश्चात् अन्तिम रूप से जिला आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

याचिकार्थिया द्वारा पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर बाड़मेर जिले के स्थान पर धोलपुर जिला आवंटित कर पदस्थापन करने की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा–2/2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राशि/2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति–पत्नी के एक ही स्थान अथवा निकटतम स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–3) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.1(1)प्र.सु./अनु.–3/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या 03 में अंकित पति–पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य भर्ती एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात् काउंसलिंग में वरीयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में इच्छित स्थान पर पदस्थापन का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही पदस्थापन किए जाते हैं। याचिकार्थिया द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पति के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर वर्तमान में बाड़मेर जिले के स्थान पर धोलपुर जिला आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थिया द्वारा बाड़मेर जिले के स्थान पर धोलपुर जिला आवंटित कर पदस्थापन हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./जोध/13070/2020 दिनांकः– 20.12.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/29825/जी/2020/2 दिनांक 08.12.2020 के क्रम में।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर संभाग, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, बाड़मेर
6. याचिकार्थिया मंजू कुमारी पुत्री श्री रामवीर सिंह पत्नी श्री मुकेश कुमार, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राईकों का बास, बालोतरा, जिला–बाड़मेर (रजिस्टर्ड)
7. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)